ऑन लाईन नं. GCMS 2025/145

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 38/2025

1. श्रीमती बलविन्द्र कौर पत्नी श्री विकांत जाति लवानासिख निवासी वार्ड नंबर 02, म.न. 55–56 भरतनगर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।

प्रार्थीया

बनाम

1. उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर
2. बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रीगंगानगर
3. प्रियंका पत्नी श्री मनोज कुमार निवासी वार्ड नंबर 02, म.न. 56 भरतनगर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर, राजस्थान

अप्रार्थीगण

उपस्थित :

1. अमित स्वामी, अधिवक्ता अपीलार्थीया
2. विभागीय प्रतिनिधि।
3. सुधीर कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 03

अपील विरूद्ध दिनांक 10.09.2025 पत्र कमांक 581 श्रीगंगानगर आदेश को निरस्त कर प्रार्थीया को चयन करने के संबंध में।

आदेश दिनांक : 31.10.2025

अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं:–

1. यह कि राजस्थान सरकार उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर के कमांक 57871–58286 दिनांक 01.03.2024 विज्ञप्ति संख्या 01/2025 के कम में प्रार्थीया ने वार्ड न. नया 04 व पुराना वार्ड नंबर 02 श्रीगंगानगर के आंगनबाड़ी केन्द्र 02–बी में कार्यकर्ता पद हेतु आवेदन किया था।
2. यह कि प्रार्थीया के साथ ही अन्य अभ्यर्थिया प्रियंका पत्नी श्री मनोज कुमार निवासी वार्ड नंबर 02, म.न. 56 भरतनगर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर, राजस्थान ने भी आवेदन किया था, श्री मती प्रियंका के पास स्नातक बी.ए. की डीग्री है, जो उसने आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया था जबकि प्रार्थीया के पास एम.ए. अंग्रेजी की डिग्री संलग्न आवेदन पत्र था।
3. यह कि प्रार्थीया का आवेदन पत्र सुपरवाईजर की पूछताछ पर पड़ोसी द्वारा प्रार्थीया के नहीं रहने का मिथ्या कथन किया गया जिसके आधार पर प्रार्थीया का आवेदन निरस्त किया गया।
4. यह कि प्रार्थीया वार्ड नवंर नया 04 व पुराना वार्ड नंबर 02 श्रीगंगानगर की स्थायी निवासी है, प्रार्थीया उच्च शिक्षित बेरोजगार है।
5. यह कि प्रार्थीया को सुनवाई का अवसर दिए बिना चयन समिति ने द्वेष भाव से नियम विरूद्ध राजनैतिक प्रभाव तथा बिना दस्तावेज की जांच तथा अप्रार्थीया के निवास से संबंधित बिना जाचं किए अप्रार्थीया संख्या 3 का चयन किया गया है, जो निरस्ती योग्य है।

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

6. यह कि प्रार्थीया के अंक सबसे अधिक थे, इसके बावजूद भी अप्रार्थीया संख्या–3 के अंक कम होने के बावजूद भी चयन समिति द्वारा बिना किसी जांच के राजनीतिक प्रभाव में चयन किया गया है जो निरस्ती योग्य है।

7. यह कि प्रार्थीया के पास स्थानीय निवास के सभी दस्तावेज हैं जो संलग्न है प्रार्थीया अपने पति के साथ इसी पते पर निवास कर रही है और प्रार्थीया की योग्यता भी सभी अभ्यर्थियों से ज्यादा है इसलिए प्रार्थीया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हकदार है।

8. यह कि अपील श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर समयावधि में पेश है।

अतः अपील श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि आदेश क्रमांक 581 दिनांक 10.09.2025 को निरस्त कर प्रार्थीया का चयन किये जाने का आदेश दिया जाकर प्रार्थीया को न्याय दिलवाया जावे। श्रीमान जी की कृपा होगी।

अपील प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

रेस्पोडेन्ट बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रीगंगानगर शहर ने अपना जबाब पत्र क्रमांक 617 दिनांक 24.09.2025 से प्रस्तुत कर अंकित किया कि आ.बा. कैन्द्र 2बी पर कार्यकर्ता का रिक्त पद हेतु विज्ञप्ति संख्या–01/2025 जारी कर आवेदन लिए गए थे। आ.बा. केन्द्र 2बी पर कार्यकर्ता हेतु कुल 08 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदन पत्रों में श्रीमती बलविन्द्र कौर(अपीलकर्ता) का भी आवेदन प्राप्त हुआ था। प्राप्त आवेदनों की विभागीय परिपत्रानुसार अस्थाई वरियता सूची बनाई गई तो श्रीमती बलविन्द्र कौर पत्नी श्री विक्रांत सिंह प्रथम तथा श्रीमती प्रियंका पत्नी श्री मनोज द्वितीय स्थान पर रही। श्रीमान उपखंड अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेशानुसार संबंधित महिला पर्यवेक्षक के माध्यम से अस्थाई वरियता सूची में प्रथम 03 आवेदकों का रिहायस व निवास संबंधी भौतिक सत्यापन करवाया गया तो श्रीमती बलविन्द्र कौर को आस पड़ोस के लोगों के द्वारा 07 जैड का निवासी होना बताया और श्रीमती प्रियंका को वार्ड नंबर 02 श्रीगंगानगर का निवासी होना बताया गया। दोनों आपस में जेठानी–देवरानी है। श्रीमती बलविन्द्र कौर पत्नी श्री विक्रांत सिंह पहले यहां साथ रहते थे इसी कारण दस्तावेज यहां के है। श्रीमती बलविन्द्र कौर वार्ड की स्थाई निवासी नहीं होने के कारण शहरी चयन समिति के द्वारा सर्वसम्मति से श्रीमती प्रियंका पत्नी श्री मनोज कुमार का चयन किया गया। अतः रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

अधिवक्ता अपीलार्थीया ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीया का आवेदन पत्र सुपरवाईजर की पूछताछ पर पड़ोसी द्वारा प्रार्थीया के नहीं रहने का मिथ्या कथन किया गया जिसके आधार पर प्रार्थीया का आवेदन निरस्त किया गया। प्रार्थीया वार्ड नबंर नया 04 व पुराना वार्ड नंबर 02 श्रीगंगानगर की स्थायी निवासी है, प्रार्थीया उच्च शिक्षित बेरोजगार है। प्रार्थीया को सुनवाई का अवसर दिए बिना चयन समिति ने द्वेष भाव से नियम विरूद्ध राजनैतिक प्रभाव तथा बिना दस्तावेज की जांच तथा अप्रार्थीया के निवास से संबंधित बिना जाचं किए अप्रार्थीया संख्या 3 का चयन किया गया है। प्रार्थीया के अंक सबसे अधिक थे, इसके बावजूद भी अप्रार्थीया संख्या–3 के अंक कम होने के बावजूद भी चयन समिति द्वारा बिना किसी जांच के राजनीतिक प्रभाव में चयन किया गया है। प्रार्थीया के पास स्थानीय निवास के सभी दस्तावेज हैं जो संलग्न है प्रार्थीया अपने पति के साथ इसी पते पर निवास कर रही है और प्रार्थीया की योग्यता भी सभी अभ्यर्थियों से ज्यादा है इसलिए प्रार्थीया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हकदार है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश क्रमांक

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

581 दिनांक 10.09.2025 को निरस्त कर प्रार्थीया का चयन किये जाने का आदेश दिया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट नंबर 03 ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि अपील की मद संख्या 01 अस्वीकार है। प्रार्थीया एम.ए. अंग्रेजी में है जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। अपील की मद संख्या 03 में सुपरवाईजर ने पूछताछ में जो कथन किए हैं। सर्वे के अनुसार सही तथ्य है। अपील के मद संख्या 4 में प्रार्थीया बेरोजगार है या नहीं जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। अपील की मद संख्या 5 में यह कतई स्वीकार नहीं है कि प्रार्थीया को राजनीतिक प्रभाव के कारण बिना जांच किए प्रार्थीया का नाम चयन में नहीं आया। बलकि अप्रार्थीया के पास कोई राजनीतिक अप्रोच नहीं है। अप्रार्थीया पढ़ी–लिखी घरेलू औरत है। जो कि सामाजिक तौर पर सभी की सहायता के लिए उपलब्ध रहती है। अपील की मद संख्या 06 किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं है। प्रार्थीया के पास स्थानीय निवासी होने के कोई दस्तावेज ऐसे नहीं है, जिससे यह साबित होता है कि प्रार्थीया 55 व 56 भरतनगर की निवासी है। प्रार्थीया ने रमेश चंद्र शर्मा वार्ड नं 4 पार्षद के द्वारा लिखा प्रमाण पत्र पेश किया कि प्रार्थीया 55 व 56 भरत नगर की निवासी है, जबकि पार्षद रमेश चन्द्र शर्मा का वार्ड 2/4 में कभी भी आना जाना नहीं है। उसके पास कोई सर्वे रिपोर्ट भी नहीं है। वार्ड दो हिस्सों में है। वार्ड के दूसरे हिस्से में भरतनगर आता है। कौन व्यक्ति कितने समय से निवास कर रहा है या घर छोड़कर चला गया। इसकी जानकारी उन्हे नहीं है। इसलिए रमेश चन्द्र शर्मा पार्षद का प्रमाण पत्र किसी तरह मान्य नहीं है। प्रार्थीया ने जो दस्तावेज राशन कार्ड व आधार कार्ड पेश किया है वह प्रार्थीया के पति के दस्तावेज के आधार पर बने है, परंतु प्रार्थीया कभी भी 55 व 56 भरतनगर वार्ड न.2/4 श्रीगंगानगर की निवासी नहीं रही। प्रार्थीया का पति विकांत पुत्र प्रेम सागर वर्ष 2009 से 10 तक हमारे निवास स्थान पर रहा था। तब इसने हमें विश्वास में लेकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस 55 व 56 भरतनगर के पते पर बनवा लिया ताकि इसके डाक विभाग व समस्त कोरियर पत्र इसी स्थायी पते पर आ सकें। लेकिन उसके बाद ये कभी भरतनगर में नहीं रहा। विकांत 2011 से 30 अक्टूबर 2012 तक वाटर वर्क्स कॉलोनी, श्रीगंगानगर में रहा था। 06 नवंबर 2012 को घर के सामने रहने वाली बलविन्द्र कौर से भागकर लव मैरिज कर ली। जिस कारण बलविन्द्र कौर के माता–पिता ने विरोध किया और माहौल तनाव पूर्ण हो गया। थाना–कचहरी हुई जिसकी वजह से विकांत व उसकी पत्नी बलविन्द्र कौर विकांत के माता–पिता के पास गांव भगतपुरा संगरिया में रहने को चले गए। जहां ये करीब 6–8 महीने रहे। 2013 में तीन पुली मेन रोड पर किराए का मकान लेकर बलविन्द्र कौर पत्नी विकांत रहने लगे। 2014 में पुरानी आबादी बीएसएनएल टावर के पास बने ओम शर्मा जी के मकान में फस्ट फलोर पर किराए पर रहे। इसके बात उक्त दंपति 07 जैड ग्रामीण में किराए पर रहने को चले गए। 7 जैड ग्रामीण में पीएनबी बैंक में ऑफिसर रमशे सक्शेना के मकान में यह दोनों 6 वर्ष तक किराए पर रहे। अब वर्तमान में 7 जैड ग्रामीण मकान नं. 3 मालिक सुरेन्द्र बेरड वरिष्ठ अध्यापक के मकान में पिछले साढे तीन वर्ष से निरंतर किराए पर रह रहे हैं। यह दोनों पति पत्नी पिछले 9 वर्ष से 7 जैढ ग्रामीण के स्थायी निवासी हैं। इनके द्वारा भरतनगर में रहने की जो अपील पेश की गई है तो बिल्कुल गलत व झूठी है। अप्रार्थीया की शादी 2015 में मनोज कुमार पुत्र बंसीलाल निवासी 55 व 56 भरतनगर के साथ हुई। 2015 से लगातार अपने पति सहित स्थायी निवास कर रही है। जो कि सर्वे रिपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, मूल निवास पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, राशनकार्ड, जन आधार कार्ड व समस्त दस्तावेज तथा तीन

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

बार पार्षद रही कुसुम कौशिक द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र भी यह साबित करता है कि अप्रार्थीया 55 व 56 भरतनगर की स्थायी निवासी है। यह मकान उनके पति के स्वयं का है। उक्त मकान के बिजली पानी के बिल पति के नाम से है। इस मकान में अप्रार्थीया के साथ उनके पति, पुत्र, सास व देवर ही रहते हैं। अतः अप्रार्थीया की ओर से लिखित ब्यान प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया बलविन्द्र कौर की अपील खारिज की जावे।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपनी बहस में जबाब के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि आ.बा. कैन्द्र 2बी पर कार्यकर्ता का रिक्त पद हेतु विज्ञप्ति संख्या–01/2025 जारी कर आवेदन लिए गए थे। आ.बा. केन्द्र 2बी पर कार्यकर्ता हेतु कुल 08 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदन पत्रों में श्रीमती बलविन्द्र कौर(अपीलकर्ता) का भी आवेदन प्राप्त हुआ था। प्राप्त आवेदनों की विभागीय परिपत्रानुसार अस्थाई वरियता सूची बनाई गई तो श्रीमती बलविन्द्र कौर पत्नी श्री विक्रांत सिंह प्रथम तथा श्रीमती प्रियंका पत्नी श्री मनोज द्वितीय स्थान पर रही। श्रीमान उपखंड अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेशानुसार संबंधित महिला पर्यवेक्षक के माध्यम से अस्थाई वरियता सूची में प्रथम 03 आवेदकों का रिहायस व निवास संबंधी भौतिक सत्यापन करवाया गया तो श्रीमती बलविन्द्र कौर को आस पड़ोस के लोगों के द्वारा 07 जैड का निवासी होना बताया और श्रीमती प्रियंका को वार्ड नंबर 02 श्रीगंगानगर का निवासी होना बताया गया। दोनों आपस में जेठानी–देवरानी है। श्रीमती बलविन्द्र कौर पत्नी श्री विक्रांत सिंह पहले यहां साथ रहते थे इसी कारण दस्तावेज यहां के है। श्रीमती बलविन्द्र कौर वार्ड की स्थाई निवासी नहीं होने के कारण शहरी चयन समिति के द्वारा सर्वसम्मति से श्रीमती प्रियंका पत्नी श्री मनोज कुमार का चयन किया गया। अतः रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया तो पाया कि कार्यालय उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर के पत्र दिनांक 04.07.2025 के द्वारा विज्ञप्ति संख्या 01/2025 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों हेतु जारी की गई। उक्त विज्ञप्ति के जारी होने के पश्चात् आंगनबाड़ी केन्द्र 2बी पर कार्यकर्ता हेतु आवेदन मांगे गए। अपीलार्थीया का मुख्य आरोप है कि प्रार्थीया के अंक सबसे अधिक थे, इसके बावजूद भी अप्रार्थीया संख्या 3 के अंक कम होने के बावजूद भी प्रार्थीया के आवेदन पत्र को निरस्त किया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 03 ने अपनी बहस में कथन किया कि **"अपीलार्थीया व उसका पति 7 जैड ग्रामीण में पीएनबी बैंक में ऑफिसर रमशे सक्शेना के मकान में यह दोनों 6 वर्ष तक किराए पर रहे। अब वर्तमान में 7 जैड ग्रामीण मकान नं. 3 मालिक सुरेन्द्र बेरड वरिष्ठ अध्यापक के मकान में पिछले साढे तीन वर्ष से निरंतर किराए पर रह रहे हैं। यह दोनों पति पत्नी पिछले 9 वर्ष से 7 जैड ग्रामीण के स्थायी निवासी हैं।"** जिसका सत्यापन पत्रावली पर मौजूद भौतिक सत्यापन रिपोर्ट से होता है। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट पर स्वयं अपीलार्थीया बलविन्द्र कौर पत्नी विक्रांत के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं। बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रीगंगानगर शहर द्वारा प्रस्तुत जबाब पत्र क्रमांक 617 दिनांक 24.09.2025 में भी वर्णित किया गया कि **"महिला पर्यवेक्षक के माध्यम से अस्थाई वरियता सूची में प्रथम 03 आवेदकों का रिहायस व निवास संबंधी भौतिक सत्यापन करवाया गया तो श्रीमती बलविन्द्र कौर को आस पड़ोस के लोगों के द्वारा 07 जैड का निवासी होना बताया और श्रीमती बलविन्द्र कौर वार्ड नंबर नया 4 पुराना 2 की स्थाई निवासी नहीं होने के कारण शहरी चयन समिति के द्वारा सर्वसम्मति से श्रीमती प्रियंका पत्नी श्री मनोज कुमार का चयन किया गया।"**

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली पर मौजूद भौतिक सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 09.09.2025 में भी **"बलविन्द्र पत्नी विकांत आंगनबाड़ी केन्द्र 2बी के सर्वेक्षेत्र में वर्तमान में वार्ड नंबर नया 4 पुराना 2 में निवास नहीं कर रहे। इसका ससुराल पक्ष 7 जेड में स्वयं और सास, ससुर, पति 7 जेड में निवास करते हैं। इसका आंगनबाड़ी केन्द्र 2बी के सर्वे रजिस्टर में कहीं भी पंजीकरण नहीं है। आं.केन्द्र 2बी/4 में आवेदनकर्ताओं के स्थानीय निवास का भौतिक सत्यापन करने पर प्रियंका/मनोज व मधु मिश्रा पुत्री गजानंद मिश्रा वार्ड की स्थाई निवासी हैं, लेकिन बलविन्द्र कौर/विकांत सिंह वार्ड की स्थाई निवासी नहीं है। 7 जेड में वर्तमान में निवास कर रही है।"** इससे प्रमाणित है कि अपीलार्थीया वार्ड नंबर नया 4 पुराना 2, श्रीगंगानगर की स्थाई निवासी नहीं है। फलस्वरूप, अपील अपीलार्थीया सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग, श्री गंगानगर एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी (शहर) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 31.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
(प्रशासन), श्रीगंगानगर।